

प्रेस नोट दिनांक 21.06.2025

थाना बारादरी बरेली

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त को एक अवैध तमन्चा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारादरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 20/21.06.2025 की रात्रि में घटना कारित करने जाते समय अभियुक्त रवि उर्फ रवि राणा पुत्र सोहन पाल निवासी मणीनाथ वंशीनंगला थाना सुभाषनगर जनपद बरेली को रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज लिंक रोड से मय एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त स्थानीय थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 518/2024 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रवि उर्फ रवि राणा पुत्र सोहन पाल नि0 मणीनाथ वंशीनंगला थाना सुभाषनगर जनपद बरेली

अभियुक्त रवि का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 18/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना किला बरेली
2. मु0अ0सं0 614/2017 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बरेली।
3. मु0अ0सं0 773/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली।
4. मु0अ0सं0 351/2021 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सुभाषनगर बरेली।
5. मु0अ0सं0 429/2017 धारा 379/411 भादवि थाना सुभाषनगर बरेली।
6. मु0अ0सं0 478/2017 धारा 379/411 भादवि थाना सुभाषनगर बरेली।
7. मु0अ0सं0 518/2024 धारा 392/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली।

विवरण:-

अभियुक्त एक शातिर लुटेरा/चोर है जिसके विरुद्ध थाना किला, सुभाषनगर, बारादरी एवं कोतवाली में पूर्व से कई अभियोग दर्ज है जिसमें यह जेल भी जा चुका है तथा थाना किला से इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही भी हो चुकी है। दिनांक 02.06.2024 को श्री सुनील कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव निवासी चंदन बाडा थाना कोतवाली जिला गाजीपुर को अभियुक्त रवि द्वारा अपने साथी दीपक यादव पुत्र अशोक यादव निवासी कुंवरपुर थाना किला एवं अंकित उर्फ कल्लू पुत्र मुन्ना लालनिवासी कुंवरपुर थाना किला के साथ मिलकर रास्ते में रोककर चाकू व तमंचा दिखाकर सैमसंग मोबाइल, लैपटॉप तथा पर्स (जिसमें विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड तथा 10 हजार रुपये नकद थे) डोहरा रोड शिव मन्दिर के पास थाना बारादरी से लूट लिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बारादरी बरेली पर मु0अ0सं0 518/2024 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दीपक यादव व अंकित उर्फ कल्लू उपरोक्त को लूटे गये मोबाइल, लैपटॉप व एटीएम के साथ दिनांक 09.08.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया था परन्तु रवि उर्फ रवि राणा फरार चल रहा था। कुछ दिन के लिए रवि दिल्ली भी भाग गया था। सर्विलान्स एवं मुखबिरो के माध्यम से उक्त लुटेरे को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बो

पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री धनन्जय कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी जनपद बरेली
2. उ0नि0 जगत सिंह चौकी प्रभारी रुहेलखण्ड थाना बारादरी बरेली
3. उ0नि0 मोहित कुमार थाना बारादरी जनपद बरेली
4. हे0कां0 धर्मेन्द्र चौधरी थाना बारादरी जनपद बरेली
5. हे0कां0 पुष्पेन्द्र राणा थाना बारादरी जनपद बरेली
6. कां0 राजू थाना बारादरी जनपद बरेली
7. कां0 सचिन कुमार थाना बारादरी जनपद बरेली

बरामदगी

1. 01 किलो 439 ग्राम स्मैक
2. 552 ग्राम चरस/सुल्फा
3. एक मो0सा0 टीवीएस स्पोर्टस रंग काला

फरार अभियुक्त:-

1. अफजाल पुत्र अज्ञात निवासी एजाज नगरगौटिया थाना बारादरी बरेली ।
2. बिलाल पुत्र अफजाल निवासी एजाज नगर गौटिया थाना बारादरी बरेली ।
3. रिजवान पुत्र अज्ञात निवासी शहदाना थाना बारादरी बरेली ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक धनंजय पाण्डेय थाना बारादरी बरेली ।
2. उ0नि0 सनी चौधरी प्रभारी चौकी जगतपुर थाना बारादरी बरेली ।
3. उ0नि0 जगत सिंह चौकी प्रभारी रूहेलखण्ड थाना बारादरी बरेली ।
4. उ0नि0 मोहित भारद्वाज थाना बारादरी बरेली ।
5. हे0का0 534 आशीष कुमार थाना बारादरी बरेली ।
6. हे0का0 1097 धर्मेन्द्र सिंह थाना बारादरी बरेली ।
7. हे0का0 21 विनीत कुमार थाना बारादरी बरेली ।
8. का0 511 आदित्य प्रताप सिंह थाना बारादरी बरेली ।
9. का0 3699 राजू थाना बारादरी बरेली ।
10. का0 3246 यश गौड थाना बारादरी बरेली ।